उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-2136 /पांच-8-2020-जी0(290)/2017टी0सी0-II

लखनऊ: दिनांक : 13 अगस्त, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा वर्ष 2019 में किये गये चयन के फलस्वरूप पत्र संख्या-219/93/डी0आर0/सेवा-8/2017-18, दिनांक 10 अक्टूबर 2019 में 1307, पत्र संख्या-219(1)/93/डी0आर0/सेवा-8/2017-18, दिनांक 07 दिसम्बर 2019 में 565 एवं पत्र संख्या-219(IV)/93/डी0आर0/सेवा-8/2017-18, दिनांक 27 फरवरी, 2020 में 77 चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति प्रदान करते हुए सूची के कालम-8 में उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित **चिकित्सा इकाई एवं जनपद** में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत मूल रूप से तैनात करते हुए अग्रिम आदेशों तक सूची कालम-9 में उल्लिखित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका के अधीन सम्बद्ध किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 के नियम 18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से शर्त **क्रमांक-5** में निर्धारित अवधि में सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होगे।

3- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न निर्धारित शपथ पत्र के प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त का सत्यापन स्वयं करेगा। उसमें यदि कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें शासन स्तर से तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर(एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुन: संशोधित शासनादेश संख्या-2746/ सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5- सम्बन्धित चिकित्सक **पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर** तक अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होगें तथा शर्त क्रमांक-7 में उल्लिखित समस्त

प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे उक्त निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6- नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु चिकित्साधिकारियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7- चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे:-

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्नक प्रारूप में)

(2) अभियोजन न चलाये जाने, न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा चरित्र प्रागवृत्त सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आने पर सेवायें समाप्त करने के सम्बन्ध में शपथ पत्र (संलग्न प्रारूप पर)।

(3) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(4) ओथ एलीजियन्श का प्रमाण पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

(6) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।

(7) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।

(8) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

8- संबंधित चिकित्सक को स्नातकोत्तर पाठयक्रम में प्रवेश हेतु शासनादेश संख्या-04/2020/197/चि0-3-2020-जी0-06/2013टी0सी0-II, दिनांक 07-02-2020 में विहित व्यवस्थानुसार अनुमन्य लाभ प्राप्त होंगे।

9- संलग्न सूची में अंकित चिकित्साधिकारियों में से यदि कोई चिकित्साधिकारी पूर्व से पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में कार्यरत है, तो उसे यह लिखित रूप में विकल्प देना होगा कि वह पूर्व में की गयी नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहना चाहता है या वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर। यदि किसी चिकित्साधिकारी द्वारा वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहने का विकल्प दिया जाता है, तो उसके द्वारा पूर्व में की गई सेवा की गणना वरिष्ठता निर्धारण हेतु नहीं की जायेगी।

2- प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

3- देश में कोरोना की गम्भीर महामारी से लाकडाउन के दृष्टिगत चिकित्सकों के स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1098 /पांच-8-2020-जी0(290)/2017 टी0सी0-II, दिनांक 02-04-2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

<u>संलग्नक-तैनाती सूची 08 एवं शपथ पत्र का प्रारूप।</u>

वी0 हेकाली झिमोमी
सचिव।

संख्या- 2136 (1)/पांच-8-2020-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- संबंधित जिलाधिकारी।

3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-219/93/डी0आर0/सेवा-8/2017-18, दिनांक 10 अक्टूबर 2019, संख्या-219(1)/93/डी0आर0/सेवा-8/2017-18, दिनांक 07 दिसम्बर 2019 एवं संख्या-219(IV)/93/डी0आर0/सेवा-8/2017-18, दिनांक 27 फरवरी, 2020 के क्रम में ।

4- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्ति आदेश को सर्व सम्बन्धितों को अपने स्तर से (रजिस्टी/ई-मेल के माध्यम से)उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नियुक्ति में कोई भी परिवर्तन शासन स्तर से ही किया जायेगा।

5- सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्त किये गये चिकित्साधिकारियों के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था करायें तथा चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाय, जिससे कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये गये चिकित्साधिकारी के मामले में स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।

6- अधिशासी अधिकारी उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को मानव सम्पदा साफटवेयर में अपलोड करने का कष्ट करें।

7- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

8- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

9- सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ कि वे नियुक्त चिकित्साधिकारी को मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने पर निर्धारित तिथि तक उनके प्रस्तर-7(1) में उल्लिखित अभिलेखों को प्राप्त कर योगदान आख्या शासन को विलम्बतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

10- उक्त चिकित्सकों के मूल तैनाती स्थल से संबंधित समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ कि वे संबंधित चिकित्सक का वेतन चिकित्सक द्वारा सम्बद्धीकरण स्थल पर कार्यभार ग्रहण/योगदान की तिथि से आहरित किये जायेंगे।

11- उक्त चिकित्सकों के सम्बद्धीकरण स्थल से संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ अधीक्षिका।

12- सम्बन्धित कोषाधिकारी, उ0प्र0।

13- सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उन्हें संलग्न सूची के कालम-8 में उल्लिखित चिकित्सा इकाई/जनपद में मूल रूप से तैनात करते हुए अग्रिम आदेशों तक संलग्न सूची के कालम-9 में उल्लिखित जिला चिकित्सालय/कोविड चिकित्सालय के अधीन सम्बद्ध किया जाता है। नियुक्ति पत्र प्राप्त होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर सम्बद्ध स्थल पर योगदान आख्या प्रस्तुत करते हुए, मूल तैनाती संबंधी जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी को तत्काल सूचित करेंगे। संबंधित चिकित्सकों को वेतन सम्बद्धीकरण स्थल/जनपद पर योगदान की तिथि से मूल तैनाती के जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा। सम्बद्धता की अवधि तक मूल तैनाती इकाई/जनपद के अनुसार ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शासनादेश दिनांक 07.02.2020 में विहित व्यवस्थानुसार सभी लाभ अनुमन्य होंगे।

14- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

उप सचिव।

कार्यालय–ज्ञाप संख्या–2136/पांच–8–2020–जी(290)/2017–टी0सी0–2, दिनांक 13.08.2020 की तैनाती सूची का संलग्नक

क्र. सं.	चयन क्रमांक	अनुक्रमांक	चिकित्साधिकारी का नाम/पिता/पति का नाम/ पत्र व्यवहार का पता	श्रेणी	गृह जनपद	योग्यता/ विशेषज्ञता	तैनाती चिकित्सा इकाई/ जनपद	अस्थायी सम्बद्धता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	एस-342	53100275153	डा0 प्रांजलि सेजवाल, पत्नी श्री आशीष विजय, पता- लाइफ केयर पथ, नेट गाँधी स्टेडियम रोड, जिला- पीलीभीत (उ0प्र0)	ओ0बी0सी0	पीलीभीत	एम0बी0बी0 एस0एम0डी0 (पैथोलॉजी)	सी0एच0सी0, मझगावां, बरेली	अधीन मु0चि0अधी0, जि0 चिकि0 सम्भल।
2.	एस-356	53100050669	डा0 निशात सैयादा, पुत्री श्री मो0 अब्बास जाफरी, पता- फ्लैट वासिफ प्लाजा, 2 तल, अपोजिट यूनिटी कॉलेज, हुसैनाबाद, जिला- लखनऊ (उ0प्र0) पिन- 226003	सामान्य	बलरामपुर	एम0बी0बी0 एस0	पी0एच0सी0 नवाडिया नवाजपुर, शाहजहांपुर	
3.	एस-481	53100256741	डा0 अश्वनी कुमार मिश्रा, पुत्र स्वा0 श्री शिव प्रसाद मिश्रा, पता- 112-क, शक्ति नगर, फैजाबाद रोड, जिला-लखनऊ (उ0प्र0) पिन- 226016	सामान्य	लखनऊ	एम0बी0बी0 एस0	पी0एच0सी0 मिजखुरी, कासगंज।	
4.	एस-917	53100377664	डा0 अनुराधा पुत्री नन्द किशोर गुप्ता, पता- विजय निकेतन पुरंदहा निकट रेलवे क्रसिंग, जिला- देओघर (झारखण्ड) पिन- 814112	सामान्य	देओघर (झारखण्ड	एम0बी0बी0 एस0	प्रा0स्वा0के0 कसया जनपद फर्रूखाबाद	
5.	एस-1056	53100359154	डा0 आशीष निषाद, पुत्र श्री सीता राम, पता- मकान नं0- 90,98, डी0 ब्लॉक, गली नं0- 6, दिल्ली, पिन- 110094	सामान्य	दिल्ली	एम०बी०बी०एस०	प्रा0स्वा0के0 गिरधोल जनपद बदायूं	अधीन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, कोविड चिकित्सालय सेक्टर–39 गौतम बुद्ध नगर
6.	एस-1521	53100344204	डा0 मोहम्मद सलीम, पुत्र श्री हाजी पीर मोहम्मद, पता- वेटरनरी हॉस्पिटल दक्षिण दरवाज़ा पुरानी बस्ती, जिला- बस्ती (उ0प्र0) पिन- 272002	ओ0बी0सी0	बस्ती	एम0बी0बी0 एस0	पी0एच0सी0 कुसुमरा, मैनपुरी।	
7.	एस-1792	53100283745	डा0 इमरान खुर्शीद, पुत्र स्व0 श्री खुर्शीद अहमद, पता- मो0 मैनपुरा, पो0 सुभाष नगर, गाजीपुर (उ0प्र0) पिन- 233001	ओ0बी0सी0	गॉजीपुर	एम0बी0बी0 एस0	पी0एच0सी0 रतनपुरवारा, मैनपुरी।	
8.	एस-1913	53100176302	डा0 जितेन्द्र मणि द्विवेदी पुत्र स्व0 राम शिरोमणि द्विवेदी, पता–75–पुरानी बाजार, कुण्डा, जिला–प्रतापगढ़	सामान्य (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)	प्रतापगढ़	एम0बी0बी0एस0	लुकतारा पी. एच.सी. जनपद– बांदा	

(शिव गोपाल सिंह)
उप सचिव

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत एलापैथिक चिकित्साधिकारी के पदों पर लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2019 में चयनित चिकित्साधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप।

समक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक---------------------शपथ पत्र डा0------------------------- पुत्र श्री/डा0-------------------------------निवासी--------------------------- जनपद-------------------मैं डा0------------------------------- शपथकर्ता उपरोक्त निम्नलिखित बयान करता हूँ:-

1. यह कि शपथकर्ता की नियुक्ति शासन के कार्यालय ज्ञान संख्या------------------------------ दिनांक ----------------द्वारा उ0प्र0 प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के सामान्य उपसंवर्ग के पद पर नियुक्त करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक---के अधीन तैनात किया गया है।
2. यह कि शपथकर्ता के विरूद्व कोई आपराधिक मामला अथवा अन्य कोई ऐसा मामला लम्बित अथवा विचाराधीन नहीं है, जो उसे उक्त पद पर योगदान करने अथवा शासकीय सेवा करने के लिए आयोग्य ठहराता हो।
3. यह कि शपथकर्ता के चरित्र एवं प्राग्वृत्त संगठन का सदस्य नहीं है।
4. यह कि शपथकर्ता के चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन में कोई अन्यथा तथ्य एवं प्रतिकूल तथ्य पाये जाने की दशा में मेरी नियुक्ति निरस्त कर विधि समस्त कार्यवाही की जाती है, तब प्रश्नगत नियुक्ति/तैनाती के सम्बन्ध में कोई अधिकार/दावा/क्षतिपूर्ति क्लेम नहीं करूँगा और उ0प्र0 शासन को अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये मेरी नियुक्ति निरस्त/समाप्त कर दें।

दिनांक----------

<u>**सत्यापन**</u>

मैं डा0-----------------शपथकर्ता ईश्वर की शपथ लेकर/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि उक्त शपथ-पत्र के प्रस्तर-1 से 4 के तथ्य मेरे निजी ज्ञान में सच व सही है, कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करे।

दिनांक---------------

चरित्र प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि डा0------------------------पुत्र श्री---------------------------- निवासी---
को विगत---------------------वर्षो/माह में व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मेरे संज्ञान में ऐसे कोई तथ्य नहीं हैं, जो इनके प्रतिकूल हो।

डा0--------------------------------मेरे निकट सम्बन्धी नहीं है,उनके उत्कृष्ट चरित्र एवं प्राग्वृत्त के अनुसार उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।

हस्ताक्षर-------------------------

निवासी--------------------------